न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

अनवान

स्वर्ण सिंह बनाम स्टेट

ना पत्र सं.—09/2021
रण अन्तर्गत धारा— 144 सी.पी.सी.

(जी.सी.एम.एस नं. —2021/320)

आदेश तारीख	आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर	आदेश की पालना में की गई कार्यवाही
5/25	प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निवेदन है कि प्रार्थी की कृषि भूमि वाके चक–3 एम.एस.आर. तहसील अनूपगढ़ का पत्थर सं–314/437 मुरब्बा नं–24 का किला नं–1,10,11 मे सहायक उपनिवेशन आयुक्त घड़साना मुकाम अनूपगढ़ द्वारा अपने आदेश दिनांक–22–07–1986 से अन्य मुरब्बो के साथ प्रार्थी की कृषि भूमि वाके चक–3 एम.एस.आर. तहसील अनूपगढ़ का पत्थर सं–314/437 मुरब्बा नं–24 का किला नं–1,10,11 में प्रत्येक में 2–2 बिस्वा कुल 6 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया। जिसके खिलाफ अपील अतिरिक्त उपनिवेशन आयुक्त (प्रशासन) राजस्व अपील अधिकारी, इन्द्रा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र, बीकानेर मे अपील सं–264/1986 प्रस्तुत होने पर निर्णय दिनांक–22–09–1986 से अपील स्वीकार करते हुऐ मातहत न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक–22–07–1986 निरस्त कर दिया गया तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु मातहत न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर द्वारा अपने निर्णय दिनांक–17–01–1990 से सहायक उपनिवेशन आयुक्त घड़साना मुकाम अनूपगढ के आदेश दिनांक 22–07–1986 मे आंशिक संशोधन करते हुए मुरब्बा नं–313/436 के किला नं–21 ता 25 व मुरब्बा नं–314/436 के किला नं–21 ता 25 प्रत्येक मे से 2–2 बिस्वा चोडा निरस्त किया गया था, को स्वीकार किया गया एवं मुरब्बा नं–314/437 के किला नं. 5,6,15,16, 25 प्रत्येक में से 1–1 बिस्वा व मुरब्बा नं–313/437 के किला नं–1,10,11,20,21 मे से 1–1 बिस्वा चौडा रास्ता स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्व माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर मे अपील सं–57/90 प्रस्तुत हुई जो निर्णय दिनांक 15–10–1999 से पुर्नविदन स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर का आदेश दिनांक–17–01–1990 निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि प्रार्थीयो द्वारा चाहे गऐ मुरब्बा नं–314/433 से 314/437 के किला नं–1,10,11,20,21 मे स्वीकृ तशुदा रास्ते के बारे मे दोनो पक्षों की सुनवाई करने के बाद आदेश पारित करे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय मे रिमाण्ड आदेश दिनांक–17–01–1990 रिमाण्ड प्रकरण सं–20/2002 अनवानी त्रिलोचनसिह बनाम् गणपत आदि मे सुनवाई शुरू हुई तथा रिमाण्ड प्रकरण अपने आदेश दिनांक–10–09–2007 से खारिज फरमा दिया गया। जिसके खिलाफ कोई अपील आदि प्रस्तुत नही हुई तथा आदेश दिनांक 10–09–2007 अंतिम हो चुका है। इस प्रकार से सहायक उपनिवेशन आयुक्त घड़साना मुकाम अनूपगढ का आदेश दिनांक 22–07–1986 से प्रार्थी की कृषि भूमि पत्थर सं–314/437 के किला नं–1,10,11 मे मे 2–2 बिस्वा रास्ता दर्ज हो चुका है जबकि उक्त आदेश दिनांक 22–07–1986 अपील मे निर्णय दिनांक 22.09.1986 से निरस्त हो चुका है तथा निर्णय दिनांक 22–09–1986 से रिमाण्ड होने [illegible] श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर द्वारा अपने निर्णय [illegible] 17–01–1990 से अन्य मुरब्बो के साथ प्रार्थी की कृषि भूमि मुरब्बा नं–314/437 के किला नं– 5,6,15,16,25 प्रत्येक में 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृति का आदेश अपील सं–265/1986 निर्णय दिनांक 22.09.19[illegible] से निरस्त हो चुका है तथा निर्णय दिनांक 22–09–1986 से रिमाण्ड हुआ प्रकरण सं–20/2002 दिनांक 10–9–2017 को रिमाण्ड प्रकरण खारिज हो चुका है। परन्तु प्रार्थी की कृषि भूमि चक–3 एम.एस.आर. मुरब्बा नं–314/437 के किला नं–1,10,11 प्रत्येक मे 2–2 बिस्वा कुल–6 बिस्वा रास्ता आज भी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे दर्ज है। जबकि उक्त रास्ता स्वीकृति आदेश उक्त	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.01 13:04:45 IST
Reason: SelfAttested

वर्णित अनुसार अपील मे निरस्त हो चुकी तथा निरस्त हुई आदेश के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे हुई प्रविष्टि को निरस्त किया जाना इन्साफन आवश्यक व उचित है। इसके अतिरिक्त मौका पर किला नं 1,10,11 मे आज भी रास्ता नही चल रहा है तथा ना ही कभी चालू रहा है। मात्र एसीसी घड़साना के आदेश दिनांक 22-7-1986 के आधार पर रास्ता की प्रविष्टि की गई थी जो अपील सं-264/1986 निर्णय दिनांक 22-9-1986 से निरस्त हो चुका है। इस कारण से प्रार्थी की कृषि भूमि मे किला नं-1,10,11 प्रत्येक मे 2-2 बिस्वा रास्ता की गई प्रविष्टि को निरस्त किया जाना तथा किलाजात पूरा दर्ज किया जाना इन्साफन आवश्यक व उचित है। उक्त समस्त कार्यवाही मे प्रार्थी का पिता सोहन सिंह पक्षकार था। प्रार्थी के पिता का देहांत हो चुका है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की कृषि भूमि वाके चक-3 एम.एस.आर. तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं-314/437 का किला नं-1,10,11 प्रत्येक मे 2-2 बिस्वा कुल-6 बिस्वा रास्ता की प्रविष्टि को हटाया जाने का आदेश प्रदान करें। अति कृपा होगी।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस स्टेट को तलब किया गया। स्टेट की ओर से तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा जरिये पत्रांक 1493 दिनांक 28.10.224 द्वारा न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार चक-3 एम.एस.आर. का प.न. 314/437, मु.न.-24, कि.न.-1/0.026, 10/0.025, 11/0.025 कुल 0.076 हैक्टर भूमि बरुऐ रिकॉर्ड जमाबंदी के गै.मु. रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है। उपनिवेशन के समय से ही श्रीमान सहायक उपनिवेशन आयुक्त, घडसाना के आदेश क्रमांक 3880 दिनांक 24.07.1986 के द्वारा उक्त 6 बिस्वा भूमि को गैर मुमकिन रास्ता खेत घोषित किया गया था, जिसका नोट पर्चा खतोनी में लगा हुआ है।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट दी गई है कि श्रीमान सहायक उपनिवेशन आयुक्त, घडसाना के आदेश क्रमांक 3880 दिनांक 24.07.1986 के द्वारा उक्त 6 बिस्वा भूमि को गैर मुमकिन रास्ता खेत घोषित किया गया था, जिसका नोट पर्चा खतोनी में लगा हुआ ह। प्रार्थीगण स्वयं द्वारा पर्चा खतोनी फोटो कॉपी पेश की गई है जिसमे भी सहायक उपनिवेशन आयुक्त, घडसाना के आदेश क्रमांक 3880 दिनांक 24.07.1986 के द्वारा कृषि भूमि पत्थर सं-314/437 के किला नं-1,10,11 मे मे 2-2 बिस्वा रास्ता दर्ज हुआ है सहायक उपनिवेशन आयुक्त का आदेश दिनांक 24.07.1986 को अपास्त करने का कोई आदेश पत्रावली में नही है इसलिए आदेश दिनांक 24.07.1986 आजदिनांक तक प्रभाव में है तथा प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज किया है कि पूर्व की समस्त कार्यवाही में प्रार्थी का पिता सोहन सिंह पक्षकार था प्रार्थी के पिता देहांत हो चुका है इसलिए प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है लेकिन प्रार्थीगण सोहन सिंह का मृत्यू प्रमाण पत्र व सोहन सिंह का वारिस होने का प्रमाण पत्र पेश नही किया गया है न ही किसी समक्ष न्यायालय द्वारा उक्त रास्ता की प्रविष्टि को हटाने का आदेश दिया गया है न ही प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पोषणीय है अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पुनः स्थापना अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. अस्वीकार किया जाना न्यायसंगत है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.01 13:04:45 IST
Reason: SelfAttested

आदेश :-

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पुनःस्थापना अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी अस्वीकार किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व दर्ज नम्बर से कम हो।

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़